



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या 276 राँची ,शनिवार 31 ज्येष्ठ 1936 (श०)  
21 जून, 2014 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

-----  
संकल्प

19 जून, 2014

संख्या-5/आरोप-1-386/2014 का0 6332--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती शालिनी विजय, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच-1/64, गृह जिला- बोकारो), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों, राँची के पद पर कार्यावधि में लोक सेवकों के साथ मिलकर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत चान्हों प्रखण्ड के विभिन्न ग्रामों में बिना शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कराये ही फर्जी विपत्र तैयार कर सरकारी राशि का गबन करने एवं बिना योजना का निरीक्षण एवं अनुश्रवण किये भुगतान करने का आरोप जैसा कि संलग्न प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्रीमती विजय के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती विजय को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्रीमती विजय द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्रीमती विजय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री शीलवन्त कुमार भट्ट, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्रीमती शालिनी विजय, झा0प्र0से0 एवं श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**प्रमोद कुमार तिवारी,**

सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 276-50 ।